



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012021-224329
CG-DL-E-12012021-224329

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]
No. 82]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2021/पौष 21, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2021/PAUSHA 21, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2021

का.आ. 96(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना का.आ. 3855(अ) के अनुक्रम में, केन्द्र सरकार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री बंशी लाल भट्ट और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एआईएस चीमा के सदस्य (न्यायिक), राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के रूप में कार्यकाल को 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले अदेशों तक, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाती है।

[फा.सं.ए-40012/1/2020-प्रशा.IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना को 11 दिसंबर, 2017 को का.आ. संख्या 3863(अ) एवं 3864(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2021

S.O. 96(E).—In continuation of this Ministry's notifications S.O. 3855(E) dated 28th October, 2020, the Central Government hereby revise the tenure of Justice (Retd.) Shri Bansi Lal Bhat and Justice (Retd.) Shri A.I.S. Cheema as Judicial Member, National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) for a period till their attaining the age of 67 years, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-40012/1/2020-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide numbers S.O. 3863(E) and S.O. 3864(E), dated the 11th December, 2017.